भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-157

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना

†157. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त योजना का वित्तीय परिव्यय कितना है;
(ख) अभिभावकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभिभावकों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उपर्युक्त योजना के कार्य-निष्पादन और सफलता की निगरानी के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा सॉफ्ट स्किल और नेतृत्व प्रशिक्षण सहित बालिकाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार हैं;
(ङ) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएमवीएस) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-4 जैसी वैश्विक रूपरेखा के प्रति देश की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, शीर्ष

गुणवत्तापरक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है एवं इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी के तहत स्वीकृत और वितरित ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

योजना का नाम	दिनांक 15.07.2025 तक स्वीकृत ऋणों की संख्या	दिनांक 15.07.2025 तक वितरित राशि **(करोड़ ₹)**
पीएम-विद्यालक्ष्मी	23,420	996.51

इसके अतिरिक्त, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। एक लाख तक नए विद्यार्थियों को, जो किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं प्राप्त कर रहे है, यह ब्याज छूट प्राप्त होगी। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को 3% ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

(ख), (ग) और (घ): जागरूकता बढ़ाने के लिए, योजना के दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education.gov.in/en/scholarships_education_loan पर पहले से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक संघ ने सभी सदस्य बैंकों को दिशानिर्देश परिचालित किए हैं।

एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए है। इन सभी उपायों का उद्देश्य इस योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और पात्र छात्रों, जिनमें ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों के छात्र भी शामिल हैं, को पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में सहायता करना है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी का बहुभाषी पैम्फलेट तैयार कर पीएमवीएल पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि वे इसे डाउनलोड करके अपने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को वितरित करें।

सभी क्यूएचईआई से अनुरोध किया गया है कि वे अपने परिसरों में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की प्रचार सामग्री को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के लिए समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800-1031 का सक्रिय रूप से प्रचार करें।

बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे संस्थान की सहकार्यता से कार्यशालाएं/वेबिनार और डिजिटल प्रचार करें, अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और शाखा परिसर में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का विवरण प्रदर्शित करें, फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करें, चिह्नित संस्थाओं में शाखा द्वारा समर्पित शिक्षा ऋण सहायता डेस्क स्थापित करें, योजना के बारे में स्पष्ट, संक्षिप्त ब्रोशर और फ़्लायर्स उपलब्ध कराएं, सुचारू संचालन और सूचना के लिए संस्थाओं के नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए संबंधित प्रबंधकों को संरेखित करें।

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से अनुरोध किया गया है कि वह समरूप संचार टूलकिट विकसित करे, जिसमें शिक्षा ऋण की सभी श्रेणियों को शामिल करते हुए प्रस्तुतीकरण, परिपत्र और एफ़एक्यू शामिल हों।

सभी सदस्य बैंकों को पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रवेश सत्र से पहले और उसके दौरान एक राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन और प्रेस विज्ञप्ति जारी करना शामिल है।

सदस्य बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी मौजूदा प्रचार सामग्री और विज्ञापनों में पीएम-विद्यालक्ष्मी की टैगलाइन जोड़ें, ताकि इसका क्रियान्वयन शीघ्रता से हो सके और प्रवेश अवधि के दौरान क्यूएचईआई के समीप स्थित शाखाओं में शैक्षिक ऋण के लिए समर्पित सहायता डेस्क स्थापित करें।

इन सभी उपायों का उद्देश्य योजना के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना तथा पात्र छात्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभिभावकों और छात्राओं को पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में सहायता करना है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंकों के साथ मिलकर नियमित आधार पर शिक्षा ऋण जमा करने, संचालन और संवितरण की प्रगति की निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त, डीएचई, डीएफएस के समन्वय

से योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए क्यूएचईआई, बैंकों और आईबीए के साथ नियमित अंतराल पर बैठकों का आयोजन करता है। क्यूएचईआई और छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूजीसी, डीएफएस, आईबीए और बैंकों की सहकार्यता से क्यूएचईआई के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

(ङ) और (च): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का नोडल मंत्रालय है। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना को वैश्विक फ्रेमवर्क, विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जेंडर समानता से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 4 के प्रति देश की प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता और बाजार संपर्क जैसे घटकों के माध्यम से 18 पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को अंतिम छोर तक सहायता प्रदान करना है। यह योजना बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से संरचित कौशल विकास के साथ-साथ दैनिक वजीफा, परिवहन भत्ता, आवास और भोजन की सुविधा प्रदान करके गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह सभी व्यवसायों में महिला कारीगरों और शिल्पकारों के लिए लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित करके जेंडर समानता को भी बढ़ावा देती है, तथा उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सक्रिय ट्रैकिंग और लक्षित पहुंच भी सुनिश्चित करती है।

इस योजना के तहत, दिनांक 14.07.2025 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत **29.96 लाख** पंजीकरणों में से लगभग **10.8 लाख** महिला लाभार्थी हैं। इनमें से **8.19 लाख** महिलाओं ने 18 ट्रेड में से किसी एक में कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त, 1.48 लाख महिला लाभार्थियों के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

*****